मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून
ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर रोड निकट आई0एस0बी0टी, देहरादून।
फोन न0 :– 0135–6603100,6603102
E- mail: **info.mdda@mddaonline.in/** **website:** **www.mddaonline.in**

सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्राधिकरण में भूमि की देखरेख और भूमि सम्बन्धित वादों की कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग से 02 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त 01 तहसीलदार, एवं 02 लेखपाल की आवश्यकता है। विस्तृत जानकारी हेतु प्राधिकरण की **website:** **www.mddaonline.in** पर उपलब्ध है।

सचिव
म0दे0वि0प्रा0

शासनादेश संख्या–41 / xxvii (7) 50(4) 2017 दिनांक 12–9–2017 (छाया प्रति दांयी ओर संलग्न है) के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियत मानदेय पर नियुक्त किये जाने पर उन्हें निम्न सुविधा अनुमन्य कराये जाने का उल्लेख अंकित है ।

1– ऐसे कार्मिको को उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्व वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा । नियत मानदेय पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

2– पुनर्नियुक्ति / नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्ते, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहें हों, देय नहीं होगें अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एंव वेतन में देय मंहगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा ।

3– पुनर्नियुक्त / पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

4– पुनर्नियोजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

5– पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा । इस अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा । सार्वजनिक अवकाशों एंव आकस्मिक अवकाशों को छोडकर अवकाश अवधि में वेतन / नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

6– पुर्ननियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होगें, जिसके विरूद्व उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हों ।

7– पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति / पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी । पुनर्नियुक्ति / पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।